न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 24 / 2019 प्रार्थना पत्र

1. श्री दयाशंकर पिता खेमराज जी पालीवाल, जाति ब्राहम्ण आयु 78 वर्ष निवासी बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द हाल कर्मयोग–लोधाघाटी, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–प्रार्थी

बनाम

1. डालचन्द पिता हीरालाल जी पालीवाल, जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी–बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, नाथद्वारा।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 रा.टी.एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : श्री मंयक पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

: : आदेश : :

दिनांक :–30.07.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एकट एवं आदेश नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिजनोल तहसील नाथद्वारा में मुझ प्रार्थी एवं श्रीमती राधा देवी पत्नी सुशील कुमार पालीवाल के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी सं. 2093 / 158 रकबा 01–12 बीघा एवं आराजी सं. 157 रकबा 01–13 बीघा स्थित है। उक्त आराजीयात के दक्षिण एवं पूर्व मे विपक्षी सं. 1 डालचन्द्र के आराजी सं. 150 / 2058 एवं आराजी सं. 150 स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 के आराजीयात एक दूसरे से सटे हुये है तथा दोनो के मध्य कोई सीमा चिन्ह स्थापित नही है। जिसका नाजायज फायदा उठाने की नियत से विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थी के आराजीयात में आगे बढकर पत्थरो का पक्का कोट बनाने हेतु नींवे खोद दी है एवं कोट बनाने हेतु लगातार निर्माण कार्य जारी होकर कारीगरो एवं मजदूरो को नियुक्त कर रखा है एवं प्रचुर मात्रा मे निर्माण सामग्री भी इक्टठा कर रखी है इसलिये प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। मुझ प्रार्थी ने उक्त आराजीयात की नपती कर सीमा चिन्ह स्थापित करने हेतु आप न्यायालय मे पत्थरगढी कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2019 को पेश कर रखा है जिसकी भनक विपक्षी सं. 1 को लग जाने से बडी तेजी से युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य करवा रहा है जबकि विपक्षी को

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

प्रार्थी की भूमि पर कोट करवाने का कोई अधिकार नही है इसलिये प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 10.03.2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी मौके पर गया व विपक्षी सं. 1 से प्रार्थी की आराजीयात मे कोट निर्माण करने से मना किया तो विपक्षी सं. 1 नही मानकर कहा कि कोट तो बनाकर ही रहुंगा और जोर जबरदस्ती दादागिरी के बल पर कोट निर्माण कार्य जारी रखा तथा विपक्षी सं. 1 व उसके सम्बन्धियो ने प्रार्थी को आईन्दा मौके पर आने पर अपने मजदूरो के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाने एवं जान से मारने की धमकिया दी। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना अति आवश्यक हो गया। प्रार्थी के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि होने के कारण प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना साबित होता है यदि विपक्षी सं. 1 प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरो का कोट बनाकर कब्जा कर लेता है तो विपक्षी सं. 1 के मुकाबले प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ मे संभव नही होगा। यदि विपक्षी सं. 1 पत्थरो का पक्का कोट बनाकर प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा कर लेता है तो इससे प्रार्थी को अनेक मुकदमे लडने पडेगें तथा भारी वाद–विवाद होने की संभावना से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जबकि विपक्षी को किसी प्रकार का कोई नुकसान कारित नही होगा।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है हक विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 के आराजीयात के मध्य सीमा विवाद की स्थिति स्पष्ट नही होवे एवं सीमा चिन्ह स्थापित नही होवे तब तक किसी प्रकार के पत्थरो के कोट का निर्माण प्रार्थी की आराजीयात व विपक्षी सं. 1 की आराजीयात के मध्य मनमानी सीमा मान विपक्षी सं. 1 नही करे न ही दूसरो से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। विपक्षी सं. 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित जवाब पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2069–72 राजस्व बिजनोल, तहसील नाथद्वारा के आराजी सं. 2093/158 रकबा 01–12 बीघा एवं आराजी सं. 157 रकबा 01–13 बीघा मे प्रार्थी दयाशंकर पिता खेमराज 1/2 एवं श्रीमती राधा देवी पत्नी सुशील कुमार पालीवाल 1/2 के संयुक्त खातेदार एवं आराजी सं. 150/2058 एवं आराजी सं. 150 मे विपक्षी सं. 1 डालचन्द्र खातेदार होना प्रकट होता है। प्रार्थी के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे बनता है यदि विपक्षी सं. 1 प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

पत्थरो का कोट बनाकर कब्जा कर लेता है तो प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ मे संभव नही होगा साथ ही व्यर्थ की मुकदमे बाजी बढेगी। जबकि विपक्षी को किसी प्रकार का कोई नुकसान कारित नही होगा। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति :–प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थी के पक्ष मे विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होगी जिसका आकलन अर्थ मे संभव नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश सुनाया जाता है:–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा आ0 39 नि0 1 व 2 तथा 151 जा.दी. स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थी के हिस्से की राजस्व ग्राम बिजनोल, तहसील नाथद्वारा के आराजी सं. 2093/158 रकबा 01–12 बीघा एवं आराजी सं. 157 रकबा 01–13 बीघा मे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही स्वयं करें एवं न ही अन्य किसी से करावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक **30.07.2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द